भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2871
उत्तर देने की तारीख : 05.12.2019

छात्रवृत्ति योजनाएं

2871. सुश्री नुसरत जहां रूहीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तरह की छात्रवृत्ति योजनाओं की मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और योग्यता–सह–साधन के घटकों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): जी हां। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी समुदायों के छात्रों या लाभार्थियों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देशभर में सभी राज्यों में तीन छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित रहा है।

(i) **मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना**– सरकारी/मान्यताप्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा I से X में पढ़ रहे अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए विद्यार्थियों के माता–पिता/ संरक्षक की वार्षिक आय 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।

(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**– यह छात्रवृत्ति किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों /कॉलेजों/संस्थानों में कक्षा 11वीं से पीएच.डी स्तर पर पढ़ रहे अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए विद्यार्थियों के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।

(iii) **मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना**– यह छात्रवृत्ति योजना उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने के लिए दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं जिनके लिए पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की

जाती है। पात्र होने के लिए विद्यार्थियों के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।

(ख): अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति के घटकों/दरों का विवरण निम्नानुसार है:

<u>मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना:</u>

क्र. सं.	मद	छात्रावासी	दिवा छात्र
1.	कक्षा VI से X के लिए प्रवेश शुल्क	वास्तविक के अध्यधीन 500/- रु. प्रतिवर्ष	वास्तविक के अध्यधीन 500/- रु. प्रतिवर्ष
2.	कक्षा VI से X के लिए शिक्षण शुल्क	वास्तविक के अध्यधीन 350/- रु. प्रतिमाह	वास्तविक के अध्यधीन 350/- रु. प्रतिमाह
3.	किसी शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा		
	(i) कक्षा I से V	शून्य	100/- रु. प्रतिमाह
	(ii) कक्षा VI से X	वास्तविक के अध्यधीन 600/- रु. प्रतिमाह	100/- रु. प्रतिमाह

<u>मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:</u>

क्र. सं.	मद	छात्रावासी	दिवा छात्र
1	कक्षा XI और XII के लिए प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क	वास्तविक 7,000/- रु. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	वास्तविक 7,000/- रु. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन
2	कक्षा XI एवं XII स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश तथा पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (शुल्क/कच्ची सामग्री के प्रभार इत्यादि सहित)	वास्तविक 10,000/- रु. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	वास्तविक 10,000/- रु. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन
3	स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश और शिक्षण शुल्क	वास्तविक 3,000/- रु. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	वास्तविक 3,000/- रु. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन
4	किसी शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)	380/- रु. प्रतिमाह	230/- रु. प्रतिमाह
	(i) कक्षा XI और XII तथा इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम		
	(ii) स्नातक–पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा अन्य पाठ्यक्रम	570/- रु. प्रतिमाह	300/- रु. प्रतिमाह

	(iii) एम.फिल तथा पीएचडी (उन शोधकर्ताओं के लिए जिन्हें विश्व विद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई भी अध्येतावृत्ति नहीं दी गई है)	1200/- रु. प्रतिमाह	550/- रु. प्रतिमाह

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

क्र. सं.	**मद**	**छात्रावासी**	**दिवा छात्र**
1.	अनुरक्षण भत्ता (केवल 10 महीने के लिए)	10,000/- रु. प्रति वर्ष (1000/- रु. प्रति माह)	5,000/- रु. प्रति वर्ष (500/- रु. प्रति माह)
2.	पाठ्यक्रम शुल्क *	20,000/- रु. प्रति वर्ष या वास्तविक, जो भी कम हो	20,000/- रु. प्रति वर्ष या वास्तविक, जो भी कम हो

*85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत आवंटित बजट इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016–19 में आवंटित राशि**
1.	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	3308.13
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	1611.29
3.	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	1190.54

******